

**मूल वाद में फाइनल डिक्री**

(आदेश 20 नियम 6 और 7 )

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा (राज.)

प्रेमचंद पुत्र श्री बद्रीलाल जाति खटीक  
निवासी वार्ड नं0 2 अहीरवाडा कैंथून  
तहसील लाडपुरा जिला कोटा

बनाम 1.भैरूलाल पुत्र किशनलाल जाति मेघवाल निवासी ग्राम  
रंगतालाब उर्फ कालातालाब तहसील लाडपुरा जिला कोटा  
2.सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा।

-वादी

-प्रतिवादीगण

**-:: वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955::-**

मुकद्मा नं. 137 / 2025 (दावा)

वाद में आज तारीख को डिक्रीदार के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर तहसीलदार लाडपुरा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार ग्राम भीमपुरा प0हल्का धाकडखेडी की आराजी ख0न0 134 रकबा 0.04 हे0 भूमि वादी एवं प्रतिवादी के मध्य निम्नानुसार फाईनल अर्थात् अन्तिम डिक्री जारी की जाकर भूमि विभाजित की जाती है-

नाम खातेदार	ख0 नं0	रकबा	दिशा
भैरूलाल पुत्र किशनलाल जाति मेघवाल सा0 रंगतालाब उर्फ कालातालाब खातेदार	134	0.005 है0	दक्षिण
ललित शेखर पुत्र घनश्याम शेखर जाति बैरवा निवासी 619 सब्जी मंडी के पास महावीर नगर द्वितीय कोटा खातेदार	134 / 1	0.035 है0	उत्तर

वाद के खर्चे लेखे ... X ...रुपये की राशि, आज की तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर... X ...प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से व्याज सहित .... X .....द्वारा ..... X ....को दी जाए।

यह डिक्री आज तारीख 20 माह 05 सन् 2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी  
कोटा

**वाद के खर्चे**

वादी	रुपये	प्रतिवादी	रुपये
1. वादपत्र के लिये स्टाम्प		शक्तिपत्र के लिये स्टाम्प	
2. शक्तिपत्र के लिये स्टाम्प		अर्जी के लिये स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिये स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4.....रुपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिये निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिये निर्वाह व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामील			

उपखण्ड अधिकारी  
कोटा